समाचार–प्रकाशनार्थ :–

नगर निगम की रांगोली ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की

रतलाम शहर की स्वच्छता के लिए रांगोली ने दी रंगमयी अभिव्यक्ति

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत नगर निगम का नवाचार देशभर में सराहा गया, अब तक हजारों कचरा मुक्त स्थल, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कालेजों, जल स्त्रोतो आदि स्थानों पर रांगोली के माध्यम दिया गया स्वच्छता और पानी बचाओं का संदेश

रतलाम 27 मार्च । रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक–कला है। इसके निर्माण के पीछे निहित भावना और संस्कृति में पर्याप्त समानता है। इसका प्रयोजन सजावट और सुमंगल है और ये नकारात्मक भाव का शमन कर सकारात्मक भावना का संचार करती है। रांगोली की इस प्राचीन परम्परा का उपयोग नगर पालिक निगम रतलाम ने लोगों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक भाव जगाने के लिए किया और कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया का ये अनूठा नवाचार आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है जो रतलाम शहर के तीन लाख लोगों के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। नगर निगम प्रशासन के प्रयास है कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत रतलाम शहर देश भर में नम्बर –बने। इन्ही प्रयासों का एक हिस्सा रांगोली का निर्माण कराया जाना था।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा अक्टूबर –2020 से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चरणबंध्द योजनाओं पर काम शुरु किया। जिसके चलते प्रथम चरण शहर में लगभग 40–40 सालों से जमे करीब 500 से अधिक अस्थायी कचरा को नष्ट कराया। यहां कोई दोबारा कचरा न डाले इसके लिए कुछ स्थानों पर लाठीधारी कर्मचारियों को भी तैनात किया गया। मगर कुछ स्थानों पर फिर भी लोग नजर बचा कर कचरा निपटान कर ही आते थे।

नकारात्मक सोच वाले लोगों सहित अन्य नागरिकों के मन में स्वच्छता का पावन भाव जगाने के लिए कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा नवाचार शुरु करते हुए कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली का निर्माण शुरु करवाया और सफाई मित्र समूह के माध्यम से पहले ही दिन शहर के 50 से ज्यादा कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली का निर्माण कराया गया। इस नवाचार के दौरान खास बात ये भी रही कि जहां–जहां कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली बनाई गई उसी स्थान पर उसी क्षेत्र के रहवासियों की मौजूदगी में दीपदान कराया जाकर संकल्प दिलाया गया कि वे इस कचरा मुक्त स्थान पर खुद कचरा डालेगे और ना ही किसी दूसरे को कचरा फेंकने देगे।

इसी के साथ शहर के सार्वजनिक स्थानों, प्राचीन जल स्त्रोतो, हेण्डपंपों, कुएं,बावडियों आदि के आसपास भी रांगोली का निर्माण कराया जाकर स्वच्छता के साथ ही पानी बचाओं का संदेश भी दिया गया।

रांगोली में कंटेंट से दिया संदेश

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा किये गये इस नवाचार को आज राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है इसका मुख्य कारण सफाई मित्र समूह की प्रत्येक रांगोली में स्वच्छता का संदेश रहा है। कचरे की गाड़ी, कचरा निपटान के लिए चार अलग–अलग डस्टबिन,स्वच्छता दीदी के सेवा कार्य, रिंग पिकर्स के कार्य,सफाई सरंक्षक माता–बहनों और भाईयों का सहयोग सहित तीन सौ अधिक स्वच्छता से जुड़े अलग–अलग विषयों के चित्र रांगोली के माध्यम से निर्मित किए गए और प्रत्येक रांगोली में स्वच्छता से जुड़े नारे और स्लोगनों का समावेश किया गया है।

कचरा फेंकने आए लोग उल्टे पैर लौट गई

कचरा स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने और नागरिकों में स्वच्छता का भाव जगाने के लिए रांगोली निर्माण के दौरान कई मौके ऐसे भी आए कि जब

लोग अपनी आदत के मुताबिक कचरे का थेला लेकर फेंकने आए और वहां रांगोली का निर्माण होते देख उल्टे पैर लौट गए। हनुमान ताल, अमृतसागर आदि जैसे क्षेत्रों में कुछ लोग रांगोली निर्माण के कुछ देर बाद कचरा फेंकने की नियत से आते तो उन्हे रांगोली का निर्माण करने वाले सदस्य कभी फूलों की माला, फूल तो कभी छोटी झाडू आदि भेंट कर दोबारा यहां कचरा न फेंकने के आव्हान करते रहे। इस गांधीगिरी का असर ये भी रहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया या निर्धारित समय में आने वाली कचरा गाडियों में कचरे का निपटान करना शुरु कर दिया।

जल संरक्षण के साथ ही बेटी बचाओं का संदेश

स्वच्छता का संदेश देने वाले नवाचार के दौरान ही नगर के पुराने कुएं,बावडियों, नालों,तालाबों आदि को स्वच्छ रखने और जल संरक्षण करने का संदेश भी रांगोली का निर्माण किया गया। इसी तरह शहर सीमा के हेण्डपंप, नलकूप आदि के आसपास भी रांगोली का निर्माण किया गया। इसी के साथ बेटियों को बचाने और इनकी सुरक्षा को लेकर भी समय–समय पर रांगोली के माध्यम से सकारात्मक संदेश दिया गया। विगत माह माननीय मुख्यमंत्री के रतलाम प्रवास के दौरान डोसीगांव में आयोजित कार्यक्रम में सफाई मित्र समूह के माध्यम से विशाल रांगोली के माध्यम से बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं का संदेश दिया गया था। जिसकी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भी सराहना की थी।

अब बेटी बचाओं, रतलाम को अपराध मुक्त बनाओं का भी देगे संदेश

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ,सुंदर और स्वस्थ्य बनाने के लिए कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया के नवाचार का प्रभाव ये रहा कि लोगों में स्वच्छता का प्रति जागरुकता आने लगी और आज शहर के सभी वार्ड जीरों वेस्ट प्रक्रिया में शामिल हो चुके है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम के प्रयासों में जिला शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा विभाग आदि का भी सहयोग रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आगामी माह से रांगोली के माध्यम से स्वच्छता और जल सरंक्षण के सहयोग के साथ ही बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, रतलाम को दुर्घटना मुक्त बनाओं, भ्रूण हत्या की रोकथाम, सुंदर बने रतलाम– हर नारी का हो सम्मान, रतलाम को अपराध मुक्त बनाओं, आदि विषयों पर संदेश दिया जाएगा।

जीरो वेस्ट बनने के नजदीक रतलाम नगर

27 मार्च तक 44 वार्ड बन चुके है जीरो वेस्ट वार्ड

वार्ड क्रमांक 16, 22, 24, 28 व 31 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम 27 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एवं 49 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। 26 मार्च की स्थिति में नगर के 40 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए 27 मार्च से वार्ड क्रमांक 16, 22, 24, 28 व 31 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया जिसके तहत अब तक 49 वार्डो में से 44 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है शेष 5 वार्डो को भी जीरो वेस्ट

वार्ड बनाये जाने पर रतलाम नगर के सभी 49 वार्ड जीरो वेस्ट वार्ड बनेगे व रतलाम नगर जीरो वेस्ट नगर होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान में जिन वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डो की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एवं 49 में 2–2 कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक–पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक–पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक–पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग–अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम 27 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथींन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर हीरालाल चांदनी चौक पर 2000, चंदन चांदनी चौक पर 1000, नवपद ज्वैलरी चांदनी चौक, शैलेन्द्र जेल रोड, साड़ी सरोवर नाहरपुरा पर 500–500, ईश्वर

सैलाना बस स्टैण्ड व संजय कॉलेज रोड पर 100–100 का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम 27 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

बकाया वसूली शिविरों से निगम को 84,39,144 संपत्तिकर व 15, 23,610 जलकर प्राप्त हुआ

रतलाम 27 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में

संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/– व जलकर 59,500/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/– व जलकर 6,71,025/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/– व जलकर 19,000/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/– व जलकर 64,780/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/– व जलकर 66,715/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/– व जलकर 34,340/–, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/– व जलकर 44,230/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/– व जलकर 33,940/–, जूनि कोर्ट किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/– व जलकर 56,350/–,आनन्द कालोनी शिविर मे संपत्तिकर 86,000/– व जलकर 35,140/–, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670/–, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 69,000/– व जलकर 21,185/–, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 3,50,000/– व जलकर 66,865/–, चौगानिया भेरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 1,15,000/– व जलकर 25,865/–, सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 2,42,000/– व जलकर 70,400/–, चौमुखील पुल शिविर में संपत्तिकर 4,70,000/– व जलकर 43,925/–, बजाज खाना गणेश देवरी शिविर में संपत्तिकर 2,55,000/– व जलकर 39,750/–, शास्त्रीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,33,000/– व जलकर 35,810/–, दो बत्ती शिविर में संपत्तिकर 9,60,000/– व जलकर 51,120/–, दिलबहार चौराहा शिविर में संपत्तिकर 9,13,000/– व जलकर 74,240/–, टाटा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 38,570/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने आयोजित शिविरों में 84,39,144/– संपत्तिकर व 15,23,610/–, राशि जमा कराई।

अनुपस्थित 16 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना–पत्र जारी

रतलाम 27 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 27 मार्च शनिवार को 16 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

739 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 27 मार्च । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 27 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 739 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 27 मार्च

शनिवार को गांधी नगर व इन्द्रलोक नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 27 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी,

कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 27 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 27 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 27 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल,

कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 27.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.